बी० आर० पी० इण्टर कालेज, जौनपुर

१९७४

हाई स्कूल परीक्षा

दिनांक 21-5-74

परिषद द्वारा सम्पादित १९७४ की हाई स्कूल परीक्षा में संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित रामसमुझ [illegible] अनुक्रमांक 491380 द्वारा प्राप्तांकों का विवरण

वर्ग का नाम — (रव)

परीक्षार्थी द्वारा लिये गये विषयों के नाम	विषय के लिये निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योग	क्रियात्मक विषय प्रथम	क्रियात्मक विषय द्वितीय	क्रियात्मक विषय योग	कुल योग	परीक्षा फल (इस स्तम्भ की आवश्यक प्रविष्टियाँ काट दी जायें)
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
(१) हिन्दी	100	19	19	15		53				53	
(२) [illegible]	100	25	32			57				57	उत्तीर्ण श्रेणी — द्वितीय
(३) विज्ञान	100	19	14			30	12			62	विशेष योग्यता — ×
(४) संस्कृत	100	26	35			62				62	[illegible] — ×
(५) अंग्रेजी	100	28	28			50				55	अनुत्तीर्ण — ×
										211	पूरक परीक्षा का अधिकारी है — ×
											[illegible] अधिकारी है — ×

सम्पूर्ण प्राप्तांक (शब्दों में) दो सौ एकादश ...... (अंकों में) ... 211 ......

परीक्षाफल के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

१—प्रत्येक विषय का न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित है, उनमें परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिये दोनों में अलग-अलग न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

२—विशेष योग्यता पाने के लिए किसी विषय के सम्पूर्ण प्राप्तांक योग में ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

३—प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी होने के लिये सम्पूर्ण योग कम से कम क्रमशः ६०, ४५, एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

४—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है, तो वह पूरक परीक्षा का अधिकारी है।

५—पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल परीक्षार्थी, जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किये गये हैं, पूरक परीक्षा के अधिकारी होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी भी होंगे। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण बिना शुल्क के ही किया जायगा, अतः उन्हें वांछित शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि वे इसके लिये शुल्क जमा कर देंगे तो उसे लौटाया नहीं जायेगा।

६—जो परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के अधिकारी होते हुए भी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे तथा अनुच्छेद (५) में उल्लिखित परीक्षार्थियों की श्रेणी में नहीं आते, वे यदि चाहें तो शुल्क देकर अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का परिनिरीक्षण करा सकते हैं। इसके लिए वे सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा केन्द्र-व्यवस्थापक से निर्धारित आवेदन पत्र लेकर तथा उसकी पूर्ति करके निर्धारित शुल्क [illegible] ट्रेजरी चालान सहित परिषद् कार्यालय में भेजें। परिनिरीक्षण आवेदन-पत्र इस कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि १५ जुलाई, १९७४ है। उक्त तिथि के पश्चात् ऐसे आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि परिनिरीक्षण के लिये निर्धारित आवेदन-पत्र उपलब्ध न हो सकें, तो सादे कागज पर अपना पूरा विवरण देते हुये निर्धारित शुल्क के चालान के साथ प्रार्थना-पत्र अवश्य भेज देना चाहिये जिससे वह निर्धारित तिथि के अन्दर ही इस कार्यालय में प्राप्त हो जाय।